

पटना में दिनांक-07 फरवरी, 2017 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | काला मटिहनिया ग्राम पंचायत के वार्ड नं०-3 से 13 के बीच कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा सं०-138/64) हेतु रू० 1530.88 लाख (पन्द्रह करोड़ तीस लाख अठासी हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | गंगा नदी के बाँये तट पर निर्मित गुमटी टोला लिंक बाँध से विभिन्न तटबंधों से होते हुए पुराने कास तटबंध के बिन्दु दूरी 522 तक उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य (प्राक्कलित राशि-5465.75 लाख रूपये) (चौवन करोड़ पैंसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | "सैदाबाद मनेर तटबंध के बि०दू० 0.00 (कि०मी० 0.00) से बि०दू० 88.20 (कि०मी० 26.89) तक सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य की (प्राक्कलित राशि-4883.49 लाख रूपये) (अड़तालीस करोड़ तेरासी लाख उन्चास हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | "मोकामा टाल क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थित 61 अदद पर्ईन का उड़ाही कार्य (प्राक्कलित राशि-रू०-1074.00 लाख) (दस करोड़ चौहत्तर लाख रू०) मात्र (एजेण्डा सं०-138/66) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | "कोसी महासेतु के D/S में केन्द्रीय चैनल का सक्रियण कार्य (एजेण्डा संख्या-WKE/N/03/2017) जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 979.71 लाख (नौ करोड़ उन्नासी लाख इक्वहत्तर हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

6. पतहरा छरकी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 4.90 के बीच, विशुनपुर छरकी के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 4.60 के बीच कटाव निरोधक कार्य एवं बेतिया- गोपालगंज पुल के पिएर सं०-13-15, 17-18 के बीच वर्तमान पायलट चैनल सहित रिभर ट्रेनिंग कार्य (एजेण्डा सं०-138/05) हेतु रू० 6932.60 लाख (उनहत्तर करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 6. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

7. "मगरपाल छरकी के कि०मी० 0.00 से 12.34 कि०मी० तक उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण कार्य" (प्राक्कलित राशि रू० 2835.11 लाख रूपये) (अठाईस करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. हरोहर नदी के त्रीमुहान से रहुआ टोला तक एवं मुहाने नदी के त्रीमुहान से दोगछीया तक उड़ाही कार्य (प्राक्कलित राशि-रू०-976.00 लाख) (नौ करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र (एजेण्डा सं०-138/65) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 8. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. "विक्रमशीला सेतु के डाउन-स्ट्रीम में इस्माइलपुर-बिन्दटोली बाँध के सुदृढीकरण, स्पर सं०-7 एवं स्पर सं०-8 का पुनर्स्थापन, स्पर सं०-5 से 5N1, 5N1 से 5N2 स्पर सं०-6N एवं 7, स्पर सं०-7 एवं 8 के बीच बोल्टर रिभेटमेन्ट कार्य एवं स्पर सं०-1 के डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त रिभेटमेंट कार्य का पुनर्स्थापन कार्य तथा स्पर सं०-7 के सामने सोल हटाने का कार्य (एजेण्डा संख्या-138/15A) जिसकी प्राक्कलित राशि रूपये 5189.90 लाख (इक्यावन करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 9. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10. बाढ़ 2017 पूर्व बाढ़ 2017 पूर्व वैशाली जिला के राघोपुर दियारान्तर्गत गंगा नदी के बायें धार के दायें तट पर स्थित बिशुनपुर-अक्कनीटोला ग्राम में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या-138/33) हेतु ₹ 88520000/- (आठ करोड़ पचासी लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 10. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

11. बाढ़ 2017 पूर्व वैशाली जिला के राघोपुर दियारान्तर्गत गंगा नदी के बायें धार के दायें तट पर स्थित बिशुनपुर-चकसिंगार ग्राम में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या-138/32) हेतु ₹ 189272000/- (अठारह करोड़ बानवे लाख बहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 72.07 से 74.51 के नजदीक पीपरपाती बलूआ एवं केवटीया गाँव का कटाव निरोधक कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 1499.83 लाख) (चौदह करोड़ निनान्चे लाख तेरासी हजार) मात्र (एजेण्डा सं०-137/447) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. बाढ़ 2017 पूर्व वैशाली जिला के राघोपुर दियारान्तर्गत गंगा नदी के बायें धार के दायें तट पर स्थित जहाँगीरपुर पंचायत के परोहाँ ग्राम में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या-138/27) हेतु ₹ 57211000/- (पाँच करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14. "गंडकी नदी के बायों तटबंध एन.एच.-102 (मैकी ग्राम) से एलोनी बुहालपुर मार्ग (अवारा ग्राम) तक एवं दायों तटबंध एन.एच.-102 (फुरसतपुर ग्राम) से मोतीराजपुर (रसीदपुर ग्राम) तक उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण कार्य" (प्राक्कलित राशि-2636.06 लाख रूपये) (छब्बीस करोड़ छत्तीस लाख छः हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15. बाढ़ 2017 पूर्व वैशाली जिला के राघोपुर दियारान्तर्गत गंगा नदी के दायें धार के बायें तट पर स्थित जुड़ावनपुर पंचायत में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या-138/26) हेतु ₹ 76302000/- (सात करोड़ तिरसठ लाख दो हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16. बाढ़ 2017 पूर्व वैशाली जिला के गाँधी सेतु के उर्ध्वप्रवाह (U/S) में गंगा नदी के बायें तट पर स्थित पश्चिमी तेरसिया ग्राम एवं कोन्हारा में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या-138/29) हेतु ₹ 62494000/- (छः करोड़ चौबीस लाख चौरानबें हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 16. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

17. धनहा-रतवल पुल के ऊर्ध्वप्रवाह (U/S) एवं अनुप्रवाह (D/S) में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा सं०-09) हेतु रू० 529.98 लाख (पाँच करोड़ उन्नतीस लाख अन्तानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 17. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18. "मुंगेर जिलान्तर्गत गंगा नदी के दायें तट पर तौफीर मुंगेर में कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा सं०-138/09) हेतु रूपये 561.39 लाख (पाँच करोड़ इक्सठ लाख उन्चालिस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 18. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

19. वित्तीय वर्ष 2016-17 में समेकित बाल विकास (आई.सी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाएँ हेतु योजना एवं विकास विभाग से राज्य योजना-राज्यांश एवं राज्य योजना मद में प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय के आलोक में कुल ₹ 62163.90 लाख (₹ छः सौ इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख नब्बे हजार) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

20. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश मद में रू० 34740.00 लाख (तीन सौ सैंतालीस करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 20. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

21. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए रू० 4100.00 लाख (एकतालीस करोड़ रूपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 21. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

22. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु० 12379.00 लाख (एक सौ तेईस करोड़ उनासी लाख रुपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 22. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

23. आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के चतुर्थ चरण के विस्तारीकरण के तहत भारत सरकार से स्वीकृत 23041 आँगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) की आँगनवाड़ी सेविका, आँगनवाड़ी सहायिका, 922 महिला पर्यवेक्षिका के पदों का सृजन, पूरक पोषाहार योजना तथा स्थापना एवं अन्य व्यय मद में व्यय की स्वीकृति। 23. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

24. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत शक्ति उपकेन्द्र एवं वितरण उपकेन्द्र में सुरक्षात्मक उपक्रमों (VCB, CR Panel, CT, AB Switch) स्थापन/बदलने हेतु 34.72 करोड़ (चौतीस करोड़ बहत्तर लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 34.72 करोड़ रुपये की राशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 24. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

25. विद्युत वितरण कम्पनियों के Operational एवं Financial Turn Around के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत उदय योजना के कार्यान्वयन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं बिहार स्टेट पावर (हॉ०) कं० लि०, पटना के दोनों वितरण कम्पनियों यथा नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा की गई त्रिपक्षीय समझौता की कंडिका 1.2 (K) के आलोक में दोनो वितरण कम्पनियों का दिनांक-31.03.2015 तक ऊर्जा विपत्र की बकाया राशि 1886.65 करोड़ (NBPDC Rs. 768.99+SBPDCL 1117.66) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में पाँच सौ करोड़ रुपये (NBPDC Rs. 203.80+SBPDCL 296.20) उपरोक्त दोनों कंपनियों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किए जाने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 25. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

26. बिहार राज्य अन्तर्गत "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 एवं "बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2017" की स्वीकृति के संबंध में। 26. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

27. राज्य में अनेक प्रजातियों के वृक्षों के काष्ठ तथा विनियर आदि के परिवहन हेतु बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पाद (अभिवहन विनियमन) नियमावली, 1973 को संशोधित करने हेतु बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद (अभिवहन) (संशोधन) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। 27. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

28. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) में संशोधन एवं वर्तमान के संगम अनुच्छेद (Articles of Association) के स्थान पर नया संगम अनुच्छेद (Articles of Association) की स्वीकृति के संबंध में। 28. स्वीकृत।

विधि विभाग

29. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु अनुग्रह अनुदान मद में कुल 1,76,00,000/- (एक करोड़ छिहत्तर लाख) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। 29. स्वीकृत।

वित्त विभाग

31. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 31. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

32. टॉल फ्री संख्या-108 एवं 1099 तथा अन्य एम्बुलेंसों के परिचालन एवं नये मेडिकल कॉलेज निर्माण की पूर्व स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अन्तर्गत रू० 1,85,00,00,000/- (रूपये एक अरब पचासी करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति। 32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई.) के मापदण्ड के अनुरूप राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा एवं वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) में प्राचार्य कार्यालय हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय 75 (पचहत्तर), अर्थात् कुल 225 (दो सौ पच्चीस), पदों के सृजन की स्वीकृति। 33. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अंचल के मौजा-बेढ़ना में थाना सं०-70 के खाता सं०-1413, खेसरा सं०-3288, रकबा-0.50 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) रु० प्रति डिसमिल की दर से 1,80,00,000/- (एक करोड़ अस्सी लाख) रु० मात्र सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य 2,25,00,000/- (दो करोड़ पच्चीस लाख) रु० मात्र सहित कुल-4,05,00,000/- (चार करोड़ पांच लाख) रु० मात्र के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 34. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

35. दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर अंचल के मौजा-नरुद्दीनपुर दसोत, थाना सं०-351, खाता सं०-630 (नया), खेसरा सं०-1492, 1406, 1405, 1486, 1495, 1485, 1493 तथा 1469 के रकबा क्रमशः-0.85, 0.55, 0.70, 0.50, 1.01, 0.17, 0.07 तथा 0.75 एकड़ कुल रकबा-4.60 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार भूमि 10,500/-रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से 48,30,000/- (अड़तालीस लाख तीस हजार) रु० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत अर्थात् 2,41,500/- (दो लाख एकतालीस हजार पांच सौ) का 25 गुणा अर्थात् 60,37,500/- (साठ लाख सैंतीस हजार पांच सौ) रु० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल- 1,08,67,500/- (एक करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार पांच सौ) रु० के भुगतान पर 132/33 के०भी० ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 35. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

36. सी०डब्लू०जे०सी० सं०-12298/2011 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.10.2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिका कर्ता श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, रोडमेट-सह-चौकीदार एवं श्री चन्द्र माधव चौधरी, चालक को कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में परिवर्तन हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं०-10710 दिनांक-17.10.2013 की कंडिका-4 (ii) को शिथिल करने के संबंध में। 36. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

37. "ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 100 से 249 तक की आबादी वाले सर्वेक्षित अनजुड़े टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए सभी जिलों में पथों का निर्माण कराये जाने हेतु योजना के संशोधन के संबंध में। 37. स्वीकृत।

वित्त विभाग

38. Comprehensive Treasury Management Information System (CTMIS) के अंतर्गत सरकारी प्राप्तियों हेतु ऑनलाइन भुगतान के लिए Online-Government Revenue and Accounting Management System (O-GRAS) के क्रियान्वयन के संबंध में। 38. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

39. विकसित बिहार के लिये सात निश्चय के तहत सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-541, दिनांक-13.05.2016 के द्वारा पूर्व स्वीकृत योजना अन्तर्गत सरकारी अनाच्छादित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं परियोजना के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। 39. स्वीकृत।